



# डॉ राममनोहर लोहिया अवधि विश्वविद्यालय, अयोध्या (उ०प्र०)

संख्या : लो०अ०वि०/ सम्ब०/ 2020/ 1831

दिनांक : ०४/०६/ 2020

सेवा में

- |  |                 |
|--|-----------------|
| 1. प्र००० एम०पी० सिंह, विभाग-इतिहास एवं पुरातत्त्व, डॉ० राममनोहर लोहिया अवधि विश्वविद्यालय, अयोध्या। | -आचार्य         |
| 2. डॉ० गुरुदीन मिश्र, विभाग-भूगोल, इन्दिरा गांधी पी०जी० कालेज, अमेठी।                                | -विशेषज्ञ सदस्य |
| 3. डॉ० अनुराग मिश्र, विभाग-हिन्दी, काठौड़ासुराकेतृ पी०जी० कालेज, अयोध्या।                            | -विशेषज्ञ सदस्य |
| 4. डॉ० गीता मेहरा, प्राचार्या, राजकीय डिग्री कालेज, हरख थारावंकी।                                    | -सदस्य/ सचिव    |

**विषय:-** दीप नरायण सूर्यकुमार स्मृति महाविद्यालय बन्दीपुर -अव्यैडकर नगर को स्नातक/प्रासन्तक सत्र पर पर कला संकाय के अन्तर्गत बी०ए० पाठ्यक्रम में अतिरिक्त विषय अंग्रेजी भूगोल, एवं एम०ए० गृहविज्ञान, हिन्दी, संस्कृत, समाजशास्त्र विषय में स्ववित्तप्रेषित योजना के अन्तर्गत सत्र 2020-21 से सम्बद्धता (अस्थाइ) प्रदान करने हेतु महाविद्यालय का निरीक्षण कर निरीक्षण आख्या उपलब्ध कराने के सम्बद्ध में है।

**महोदय/महोदया,**

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में सूचित करना है कि उक्त महाविद्यालय के प्रबन्धक के प्रेषित प्रस्ताव के अनुरोधानुसार वर्णित पाठ्यक्रम के विषयों में सम्बद्धता प्रदान करने हेतु माननीय कुलपति जी ने आपको महाविद्यालय के निरीक्षणार्थ निरीक्षक मण्डल का सदस्य नियुक्त करने की कृपा की है।

अतः आप से अनुरोध है कि संलग्न प्रारूप के अनुसार महाविद्यालय का स्थालीय निरीक्षण कर अपनी निरीक्षण आख्या दो प्रतियों में उपलब्ध कराने का कष्ट करें। यह भी सूच्य है कि निरीक्षक मण्डल द्वारा एक साथ एक ही तिथि में महाविद्यालय का निरीक्षण किया जायेगा। निरीक्षक मण्डल के सदस्य महाविद्यालय के सम्पूर्ण नियुक्त मवन के साथ अपनी फोटो खिंचवायेंगे, जिसे हस्ताक्षर सहित निरीक्षण आख्या में सलग्न किया जायेगा। सम्पूर्ण निरीक्षण की निरीक्षक मण्डल के सदस्यों के साथ वीडियोग्राफी करायी जाये, जिसमें महाविद्यालय का पूर्ण भवन चहारदीवारी, गेट, शिक्षण कक्ष, प्रयोगशाला कक्षों (उपकरणों रहित) अनुग्रहित विद्यार्थी एवं मानकानुसार वाचित अन्य अवस्थाओं सुविधाओं की रिकार्डिंग समिलित हों तथा निरीक्षण मण्डल की आख्या के साथ सम्पूर्ण निरीक्षण की दो सी०डी० भी प्रेषित की जाय। (सूचीरत के पश्चात किसी भी दशा में निरीक्षण कार्य न किया जाए)

निम्न विन्दुओं पर निरीक्षक मण्डल द्वारा अपनी निरीक्षण आख्या देना अनिवार्य है-

1. महाविद्यालय को संचालित करने वाले समिति के पंजीकरण एवं वैधता की रिथ्ति।
2. महाविद्यालय की मानकानुसार भूमि महाविद्यालय के नाम राजस्व अभिलेखों में अकित होने से संबंधित खत्तौनी गूलरूप में या छायाप्रति तहसीलदार/उपजिलाधिकारी से प्रमाणित होने की रिथ्ति।
3. महाविद्यालय की भूमि के सप्तस्त गाँठों का संयुक्तता प्रमाण पत्र राक्षम राजस्व अधिकारी से प्रमाणित एवं नजरी नक्शा गूलरूप में सक्षम राजस्व अधिकारी से प्रमाणित होने की रिथ्ति, महाविद्यालय के नाम राजस्व अभिलेखों में अकित भूमि का विवरण गाँठों एवं क्षेत्रफल सहित अकित किया जाए।
4. महाविद्यालय को प्रश्नगत पाठ्यक्रम में अनापत्ति प्रदान किये जाने के आदेश संख्या एवं तिथि, अकित की जाए तथा महाविद्यालय को दी गयी अनापत्ति जिसमें गाँठों का उल्लेख किया गया है, क्या उसी गाँठों पर महाविद्यालय नियुक्त है अथवा नहीं।
5. महाविद्यालय नगर निगम, नगर पालिका व नगर पंचायत ने अवरिथत होने की रिथ्ति में संदर्भगत निकाय के सक्षम अधिकारी का भूल प्रमाण पत्र उपलब्ध होने की रिथ्ति।
6. सोसायटी/द्रुष्ट की वार्षिक आय का प्रमाण पत्र तथा संख्या की विगत तीन वर्षों की सी०ए० द्वारा प्रमाणित बैलेंस सीट अन्यथा की रिथ्ति में तहसीलदार द्वारा नियुक्त प्रमाण पत्र।
7. मानकानुसार सोसायटी/महाविद्यालय के बचत खाते में अद्यतन जमा घनराशि।
8. मानकानुसार प्रामुख घनराशि जमा होने की रिथ्ति।
9. प्रबन्ध तत्र के द्वारा आयेदान पत्र में अकित विवरण/प्रविष्टिया तथ्यों पर आधारित एवं सही है का 50 रुपये के स्टाम्प पेपर में नोटरी से सत्यापित शपथ पत्र भूल रूप में होने की रिथ्ति।
10. स्नातकोत्तर विषयों हेतु सूजी०री० की धारा २५प में पंजीकृत होने की रिथ्ति।
11. महाविद्यालय में पूर्व संचालित पाठ्यक्रम व विषयों की रक्षायी सम्बद्धता प्राप्त होने की रिथ्ति तथा विगत तीन वर्षों का परीक्षाफल।
12. पूर्व संचालित पाठ्यक्रम/पाठ्यक्रमों हेतु शिक्षण कक्ष, प्रयोगशाला पुस्तकालय व अन्य अवस्थाओं सम्बन्धी मानक पूर्ण होने की स्पष्ट रिथ्ति, कक्ष आदि के निम्नानुसार विवरण सहित—
  - a) महाविद्यालय में पूर्व संचालित पाठ्यक्रम/पाठ्यक्रमों हेतु मानकानुसार व्याख्यान कक्ष/कक्षों की संख्या—संख्या अकित की जाय।
  - b) महाविद्यालय में मानकानुसार पुस्तकालय, अध्यापक कक्ष, छात्र-छात्रा कक्ष, प्रशासनिक कक्ष, प्राचार्य कक्ष, परीक्षा एवं मीटिंग कक्ष, शौचालयों, पेयजल तथा चहारदीवारी आदि के नियुक्त होने की रिथ्ति।
  - c) फर्नीचर एवं पुस्तकों की व्यवस्था की रिथ्ति।
  - d) प्राप्तिग्राहक पाठ्यक्रम/विषय होने की रिथ्ति में सम्बन्धित प्रयोगशालाएं, रथापित होने एवं उपकरण/संयत्र होने की रिथ्ति (प्रयोगशाला की संख्या सहित) मानकानुसार जल निकास व्यवस्था, मैस लाइन, सिंक इत्यादि होने की स्पष्ट आख्या।
  - e) मानकानुसार शिक्षाकों के विश्वविद्यालय के द्वारा अनुमोदन एवं नियुक्ति की सविदा अवधि।
13. याचितपाठ्यक्रम/पाठ्यक्रमों हेतु शिक्षण कक्ष, प्रयोगशाला, पुस्तकालय व अन्य अवस्थाओं सम्बन्धी मानक पूर्ण होने की स्पष्ट रिथ्ति, कक्ष आदि के निम्नानुसार विवरण सहित—
  - a) महाविद्यालय में याचित पाठ्यक्रम/पाठ्यक्रमों हेतु मानकानुसार व्याख्यान कक्ष/कक्षों की संख्या—संख्या अकित की जाय।
  - b) महाविद्यालय में मानकानुसार पुस्तकालय, अध्यापक कक्ष, छात्र-छात्रा कक्ष, प्रशासनिक कक्ष, प्राचार्य कक्ष, परीक्षा एवं मीटिंग कक्ष, शौचालयों, पेयजल तथा चहारदीवारी आदि के नियुक्त होने की रिथ्ति।



# डा० राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, अयोध्या (उ०प्र०)

- c) फर्नीचर एवं पुरताकों की व्यवस्था की रिप्टि।  
d) प्रायोगिक पाठ्यक्रम/विषय होने की रिप्टि में सम्बन्धित प्रयोगशालाएँ, रथापित होने एवं उसमें पर्याप्त उपकरण/संयंत्र होने की रिप्टि।

(प्रयोगशाला की संख्या सहित) मानकानुसार जल निकास व्यवस्था, गैस लाइन, सिंक इत्यादि होने की स्पष्ट आख्या।

- e) मानकानुसार शिक्षकों के विश्वविद्यालय के द्वारा अनुमोदन एवं नियुक्ति की संविदा अवधि।  
14. महाविद्यालय में कम्प्यूटर कक्ष, कम्प्यूटर उपकरण, यूटी०एस०, शी०पी०यू आदि के साथ इंटरनेट कनेक्शन उपलब्ध होने की रिप्टि।  
15. प्रबन्ध रामित के गठन व अनुमोदन की रिप्टि।  
16. निरीक्षण मण्डल के सदस्यों के साथ भवन का फोटोग्राफ, बहारदीवारी निर्मित होने का प्रगाण पत्र, व्याख्यान कक्षों, पुस्तकालय एवं प्रयोगशाला के सुसज्जित होने की निरीक्षण दल के साथ स्पष्ट फोटोग्राफ व फोटो पर सभी सदस्यों के हस्ताक्षर उपलब्ध होने की रिप्टि।  
17. सामृहिक नक्ल का आरोप न होने की रिप्टि(प्रगाण संलग्न करें)।  
18. नियुक्त अनुमोदित प्राचार्य एवं अध्यापकों के वेतन भुगतान बैंक के द्वारा किये जाने की पुष्टि।  
19. नेशनल विडिंग कोड-2005 के अनुसार महाविद्यालय का भवन निर्मित होने सम्बन्धी प्रगाण पत्र अधिशासी अग्रीण अथवा अधिशासी अग्रीण अभियन्त्रण सेवा का ही एवं अभिशमन की मानकानुसार व्यवस्था होने के सम्बन्ध में अद्यावधिक प्रगाण पत्र संलग्न किया जाय।  
20. निरीक्षक मण्डल के सदस्यों द्वारा संयुक्त रूप से शासनादेश के अनुरूप अप्लाईकेंग निरीक्षण आख्या के अन्त में दी जायेगी।  
21. निरीक्षण मण्डल के सदस्यों द्वारा सम्बद्धता प्रदान करने हेतु की गयी स्पष्ट संरक्षित (स्थाई अथवा अस्थाई)।

उपरोक्त पाठ्यक्रम में सम्बद्धता (स्थाई) के आवेदन की रिप्टि में अनुमोदित प्राचार्य एवं शिक्षकों का सामृहिक हस्ताक्षरित छायाचित्र प्रबन्धक/संचिव के साथ तथा वीडियोग्राफी की सी०डी० को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाएगा।  
सन्दर्भित गणविद्यालय की निरीक्षण आख्या शासनादेश संख्या 710/सत्तर-२-2014-16(165)/2012टी०सी० दिनांक 14 नवम्बर 2014 के द्वारा निर्धारित समयावधि के अन्दर विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराने की व्यवस्था सुनिश्चित करें। निरीक्षण के उपरान्त अधिकतम 03 कार्य दिवसों की अवधि में निरीक्षण आख्या/रिपोर्ट/सूचना विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। निरीक्षण न किये जाने की रिप्टि में तत्सम्बन्धी आख्या/सूचना विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराने का कट करें। निरीक्षण हेतु निरीक्षण मण्डल के सदस्य/सदस्यों के महाविद्यालय पहुंचकर निरीक्षण आख्या/सूचना विश्वविद्यालय द्वारा निरीक्षण करने/सहयोग न करने/बाद में निरीक्षण का अग्रोत्तर करने अथवा अन्य तथ्य/तथ्यों का स्पष्ट विवरण करने, महाविद्यालय द्वारा निरीक्षण में सहयोग करने/सहयोग न करने/बाद में निरीक्षण का अग्रोत्तर करने अथवा अन्य तथ्य/तथ्यों का जायेगा। निरीक्षण सम्पन्न न हो पाने की रिप्टि में भी निर्धारित विन्दुओं पर आख्या निरीक्षक मण्डल/सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जायेगा। महाविद्यालय द्वारा निरीक्षण के लिए और अधिक समय गांगने के सम्बन्ध में लिखित साह्य निरीक्षक मण्डल द्वारा प्रस्तुत किया जायेगा तथा उनके प्रार्थना पत्र पर निरीक्षक मण्डल द्वारा सहमति की दशा में आगामी रिप्टि निश्चित की जायेगी। शासनादेश दिनांक 14 नवम्बर 2014 में निहित व्यवस्थानुसार सत्र का निर्धारण किया जायेगा।

उल्लेखनीय है कि समयान्तर्मत निरीक्षण का दायित्व निरीक्षण मण्डल के सदस्यों एवं समयान्तर्मत निरीक्षण आख्या प्रस्तुत करने का दायित्व निरीक्षण मण्डल के सदस्य/संचिव (सेंट्रीय उच्च शिक्षापिकारी अथवा नामित क्षेत्र के राजकीय महाविद्यालय के प्राचार्य) का है। निरीक्षक मण्डल/सदस्य द्वारा उक्त निर्देशों का पालन न करने की दशा में शासनादेश संख्या 968/सत्तर-६-2016-100(18)/2016 दिनांक 12 मई 2016 के निर्देशानुसार निरीक्षक मण्डल/सदस्य पर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

गुजे यह भी कहने का निर्देश हुआ है कि निरीक्षक मण्डल के सदस्यों के समर्त व्यय जिसमें टी०१०/डी०१० एवं अन्य व्यय सम्मिलित हैं यह भी यही कहने का निरीक्षक मण्डल इस आशय का भी एक प्रगाण पत्र उपलब्ध करायेगा कि निरीक्षक मण्डल के किसी सदस्य/सदस्यों द्वारा महाविद्यालय से निरीक्षण हेतु विधिक रूप से अमान्य/नियमों के विपरीत कोई धनराशि नहीं ली गयी है। निरीक्षक मण्डल द्वारा निरीक्षण आख्या (निरीक्षण आख्या के अनुसार प्रपत्र/अभिलेख संलग्न कर) क्षेत्रीय उच्च शिक्षापिकारी/राजकीय महाविद्यालय के प्राचार्य के माध्यम से विश्वविद्यालय में उपलब्ध कराने का कट करें।

**नोट-उल्लिखित विन्दु संख्या 12 एवं 13 के सम्बन्ध में निरीक्षण मण्डल के द्वारा मन्त्रीता रो निरीक्षण कर पृथक-पृथक प्रविष्टि स्पष्ट रूप से स्वयं अकिञ्चनी जायेते।**

कोरोना वायरस (कोविड-19) से बचाव सम्बन्धी भारत सरकार एवं उत्तर प्रदेश शासन द्वारा समय-समय पर निर्धारित आदेश/एडवाइजरी के पूर्णतः पालन करते हुए सुरक्षात्मक उपायों के साथ निरीक्षण सम्पन्न किया जाएगा। यह निरीक्षण कोविड-19 के दृष्टिगत शासन/जिला प्रशासन के आवागमन शर्तों व अन्य प्रतिबन्धों के अधीन होगा।

भवदीय,

उप-कुलसचिव

**प्रतिलिपि-1.** प्रबन्धक/संचिव दीप नरायन सूर्यकुमार सृष्टि महाविद्यालय बन्दीपुर -अग्वेडकर ) को इस आशय से प्रेषित है कि कृपया निरीक्षण मण्डल के सदस्यों से सम्बन्धी स्थापित कर महाविद्यालय का निरीक्षण कराने की व्यवस्था सुनिश्चित करें, निरीक्षण मण्डल को निरीक्षण में सहयोग प्रदान करने का कट करें अन्यथा की रिप्टि में समर्त उत्तरदायित्व महाविद्यालय का होगा। निरीक्षण होने सम्बन्धी सूचना अथवा अन्य सन्दर्भित सूचना शिथि सहित 03 कार्य दिवसों की अवधि में विश्वविद्यालय को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। कोविड-19 से बचाव सम्बन्धी शासन की एडवाइजरी के अनुपालन करते हुए सुरक्षात्मक उपायों के साथ निरीक्षण की कार्यवाही सम्पन्न करायी जाएगी।

2. प्रोग्राम, इ०डी०पी० सेल को इस आशय से प्रेषित है कि उक्त प्रति महाविद्यालय के लॉग-इन पर अपलोड करने का कट करें।

उप-कुलसचिव

१००१०१०१